उसका सवाल नहीं है। दूसरा सवाल जो उन्होंने किया, उसमें सारे विश्व के विश्वविद्यालय की जानकारी तो आज मेरे पास नहीं है । जब माननीय सदस्य इस बारे में जानकारी पाने के लिए नोटिस देंगे तो वह जानकारी भी हम इकट्ठी करेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अधिकांश स्थानों पर शिक्षण उसी राज्य की मातृभाषा में ही होता है। यह बात सच है । यह बात भी सच है कि जहां आप प्रशिक्षण मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा के द्वारा करवाते हैं, वहां छात्रों के मानस पर बोझ पड़ता है ।

Support prices of agricultural products

†686. SHRISUKHDEV SINGHUBRA:

Dr.ABRARAHMED†:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to authorize the State Governments to fix the minimum support price of agricultural products which do not get the expected price and the loss suffered would be shared by the State Governments and the Central Government; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTEROFAGRiaJLTURE(SHRI AJIT SINGH): (a) No, Sir. (b) Does not arise.

डा. अबरार अहमद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पाद की लागत बराबर बढ़ रही है , चाहे खाद का मूल्य हो, बीज का हो, डीजल का हो, बिजली की कीमत हो लेकिन किसानों को जो सब्सिडी और रियायत दी जा रही है, वह बराबर घट रही है। इस परिस्थिति में जो किसान की हालत बनी है, कहीं भुखमरी है तो कहीं आत्महत्याएं हो रही है, माननीय मंत्री जी इन बढ़ती हुई उत्पादन लागतों के संदर्भ में किसान को उचित मूल्य दिलवाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?

श्री अजित सिंह : माननीय सभापति महोदय, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए एक कमीशन है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बाकी सब फैक्टर्स को भी ध्यान में रखता है, जब वह दाम तय करता है । सरकार जब दाम तय करती है तो उसमें सीएसीपी की रिकमेंडेशंस तथा स्टेट की रिकमेंडेशंस इन सब पर विचार करके ही दाम तय किए जाते हैं।

डा. अबरार अहमद : महोदय माननीय मंत्री जी ने कमीशन की बात कही, वह तो हम सबको मालूम है लेकिन जैसा मैंने कहा कि उत्पादन लागत बढ़ रही है किन्तु उसकी तुलना में

† The question was actually asked on the floor of House by Dr. Abrar Ahmed.

समर्थन मूल्य नहीं बढ रहे हैं। मैं यह माननीय मंत्री जी से कहना चाहता था । किसान जब बाजार में माल बेचने जाता है तो उसे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पहले तो खराब माल बताकर उसका माल खरीदा नहीं जाता । फिर उसको कई दिनों तक मंडी में इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद अगर माल खरीद भी लिया जाता है तो महीनों तक उसको भुगतान नहीं मिलता। इस विधि को सरल बनाने के लिए और ठीक बनाने के लिए माननीय मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अजित सिंह : महोदय, जहां तक दामों का सवाल है, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। पैडी कॉमन वैरायटी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1998-99 मे 440 रूपये दाम था जो 2002-2003 में 530 हो गया जिसमें बीस रूपये ड्राउट की वजह से ऐडिशनल है। इसी तरह दाम बढ़ाए गए हैं । जो आज टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, उस हिसाब से प्राइसिज़ ऐडवर्स नहीं है। यह सही बात है कि कई बार बेचने के लिए बहुत समस्या किसानों को आती है। सरकार यह कोशिश भी कर रही है कि प्रदेश सरकारें ही इसे खरीदने का इंतजाम करें । कुछ प्रदेश सरकारों ने यह काम करना शुरू भी कर दिया है ।

श्री संजय निरूपमः सभापति महोदय, जो न्यूनतम मूल्य का विषय है, वह अपने आपमें एक अरसे से विवाद का विषय रहा है। विवाद यह रहा है कि केन्द्र सरकार एक मूल्य तय करती है और कई राज्य सरकारें उस मूल्य को मान नहीं पाती, उनकी अपनी-अपनी मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों का जो हमने एक कारण ढूंढा है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं और उस संबंध में मंत्री जी का रिस्पोंस चाहूंगा। महाराष्ट्र के तीन प्रमुख कृषि उत्पाद कॉटन, शुगर और कांदा यानी प्याज इन तीनों का कभी उत्पादन बढ़ता है कभी घट जाता है। इन तीनों के उत्पादन पर बहुत बड़े पैमाने पर किसान निर्भर करता है। तीनों एक्सपोर्ट क्वालिटी है, हमारे पास ऐक्सपोर्ट के मैटिरियल हैं। अकसर ऐक्सपोर्ट का कोटा लेने के लिए हमें केन्द्र सरकार के पास आना पड़ता है। अगर ऐग्रीकल्चर राज्यों का विषय है, अगर राज्यों के फार्मर्स हैं, राज्यों के किसान हैं तो क्यों नहीं केन्द्र सरकार हर साल जो कोटा बढ़ाने और कोटा घटाने के ऊपर अपना समय व्यर्थ करती है और उस चक्कर में कभी कांदा बर्बाद हो जाता है, कभी शुगर पड़े-पड़े सड़ जाता है, ऐसे में राज्य सरकारों को ऐक्सपोर्ट के मामले में फ्री कर देती? जैसे कांदा को फ्री किया गया है उसी तरह कॉटन और शुगर को ऐक्सपोर्ट के सिलसिले में फ्री क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया है, इस पर आप पुनर्विचार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री संजय निरूपम : सभापति महोदय, हमारी पार्टी के अंदर इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद मैं बता दूं कि हमारी पार्टी-------

श्री सभापति : ठीक है, आप बता दीजिए।

श्री संजय निरूपम : क्या राज्यों के ऊपर इस तरह से ऐक्सपोर्ट कोटा का बंधन रखें क्योंकि अगर ऐक्सपोर्ट होगा, फॉरेन ऐक्सचेंज आएगा तो राज्यों में नहीं होगा, पूरे देश में वह फॉरेन ऐक्सचेंज आएगा ।

श्री अजीत सिंह: सभापति जी, ऐक्सपोर्ट के लिए कोई भी quota न शुगर पर है,न कॉटन पर है। प्याज पर जो लिमिट थी, वह भी इस साल हटा दी गई है।

प्रो. रामगोपाल यादव : चेयरमैन महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होता है, उसमें किसान, जो साल भर खेत में काम करता है, उसके परिवार के सदस्य काम करते हैं, जो जमीन है, उसकी रेंटल वैल्यु भी होती है-जैसे फैक्टरी वगैरह में लगाई जाती है-ये सब और इनके अलावा उसके ट्रैक्टर हों, इनकी जो लागत होती है, उसको इसमें जोड़ा जाता है या नहीं? मुझे लगता है केवल बीज, पानी और खाद के अलावा कुछ नहीं जोड़ा जाता है ।

श्री अजित सिंह : सर,इसमें जमीन का रेंट भी लिया जाता है, और सब चीजें भी की जाती हैं लेकिन हम इस चीज को रिव्यू कर रहें हैं और बहुत सी युनिवर्सिटीज से हम लोग उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का data लेते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन्स से भी लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम इसको रिव्यू भी कर रहे हैं कि किस तरह से व ह कॉस्ट तय की जाए, उसमें क्या फैक्टर्स हैं, उसमें लगातार परिवर्तन होते हैं। ... (**व्यवधान**) ...

प्रो. रामगोपाल यादव : चेयरमैन सर, जो भुक्तभोगी है, जो काम करता है खेत में उनसे कभी data नहीं मांगा जाता है कि क्या क्या लागत लगती है ?

श्री सभापति : यह इसमें नहीं आता है। ... (**व्यवधान**) ...

प्रो. रामगोपाल यादव : ये युनिवर्सिटी वाले कुछ नहीं जानते । मैं जानता हूं कि जो किसान है, जब वह नहीं होता तो उसका लड़का या लड़की काम करने जाते हैं। कोई उससे नहीं पूछता है कि क्या लागत लगी है। अगर इसकी लागत लगाएं तो किसान कभी घाटे में नहीं रहेगा । जो असली चीज है, उसको कभी जोड़ते नही हैं।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति जी, मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि प्रश्न था कि क्या सरकार राज्य सरकारों को कृषि उत्पादों का न्यून त म समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत करने का विचार रखती है, तो आपने कहा है कि नहीं रखती है । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आज देश के अनेक भागों में गेहूं 425 और 430 रूपए के भाव से बिक रहा है और किसान लुट रहा है लेकिन आपने गेहूं का समर्थन मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया है। तो माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की

सरकार ने गेहूं खरीदने के लिए परचेज सेंटर स्थापित किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो क्या केन्द्र सर कार की ओर से उनको निर्देश दिया जाएगा क्योंकि गेहूं का मूल्य आज लगभग 425 और 430 रूपए है।

श्री सभापति : वोरा जी, आप तो वयोवृद्ध सदस्य हैं और आपको प्रशासन का बहुत अनुभव हैं। मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि राज्य सरकारों को यदि समर्थन मूल्य तय करने का अधिकार दे दिया गया तो ... (**व्यवधान**) ...

श्री मोती लाल वोरा : सर, मैं यह नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति : क्वेश्चन तो वही है।

श्री मोती लाल वोरा : सर, इससे यह उद्‌गत हो रहा है कि किसान आज पूरी तरह से लुट रहा है। केन्द्र सरकार की चुप्पी, केन्द्र सरकार का मान, केन्द्र सरकार की खामोशी इस बात को इंगित करती है कि किसान के मामले में केन्द्र सरकार पूरी तरह से कृतसंकल्प नहीं है।

श्री अजित सिंह : माननीय सभापति जी, गेहूं का समर्थन मूल्य इस साल 620 रूपए प्रति क्विंटल है और सूखे की वजह से एक बार के लिए विशेष सूखा राहत 10 रूपए प्रति क्विंटल की पहले ही घोषणा की जा चुकी है। पहली अप्रैल से देश में गेहूं बिक रहा है और केन्द्र भी खुल चुके हैं। ... (**व्यवधान**) ...

श्री मोती लाल वोरा : कहीं पर भी नहीं बिक रहा है। आप जाकर देखें तो गेहूं का समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिल रहा है और किसान इस मामले में लुट रहा है मैं इसकी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री सभापति : उसके कई कारण हैं और आप भी जानते हैं कि कई कारण हैं।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति महोदय, उस दिशा में ये पूरी तरह से ध्यान नही दें रहे हैं। ये coalition partner हैं।

श्री अजित सिंह : सभापति महोदय, इसको खरीदने का या केंन्द्र खोलने का इंतजाम ज्यादातर प्रदेश सरकारें करती हैं और जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात उठाई थी ... (**व्यवधान**) ...

श्री मोती लाल वोरा : यह गलत है। केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान को समर्थन मूल्य मिले और अगर नहीं मिलता तो केन्द्र सरकार उस पर हस्तक्षेप करे, यह प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ माननीय मंत्री महोदय।